

## आई. सी. 67 मरीन बीमा

### Original Text in book

#### Chapter 12 Page no.246

##### 2. बीमा सर्वेक्षण

###### a) बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधान

बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार यह जरूरी है कि रु. 100000 से अधिक की राशि वाले दावों का सर्वेक्षण बीमा नियंत्रक द्वारा जारी किये गये वैध लाइसेंसधारक सर्वेक्षक द्वारा किया जाना चाहिए.

### Revised text as below

#### Chapter 12 Page no.246

##### 2. बीमा सर्वेक्षण

###### a) बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधान

बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार, 100000 रुपये से अधिक के दावों का सर्वेक्षण **आईआरडीएआई** से वैध लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षक द्वारा किया जाना चाहिए।

**Original Text in book**

**Chapter 12 Page no.265**

**स्वयं-परीक्षा प्रश्न**

**प्रश्न 2**

बीमा अधिनियम, 1938 में यह प्रावधान है कि रु. \_\_\_\_\_ से अधिक मूल्य के दावों का सर्वेक्षण बीमा नियंत्रक की ओर से जारी किये गये वैध लाइसेंसधारक सर्वेक्षक द्वारा किया जाना चाहिए.

- I. रु.20,000
- II. रु.40,000
- III. रु.50,000
- IV. रु.100,000

**उत्तर 2**

सही विकल्प I है.

बीमा अधिनियम, 1938 में यह प्रावधान है कि रु.20,000 से अधिक मूल्य के दावों का सर्वेक्षण बीमा नियंत्रक की ओर से जारी किये गये वैध लाइसेंसधारक सर्वेक्षक द्वारा किया जाना चाहिए.

**Revised text as below**

**Chapter 12 Page no.267**

**स्वयं-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर**

**प्रश्न 2**

बीमा अधिनियम, 1938 में यह प्रावधान है कि रु. \_\_\_\_\_ से अधिक मूल्य के दावों का सर्वेक्षण की ओर से जारी किये गये वैध **आईआरडीएआई** सर्वेक्षक द्वारा किया जाना चाहिए.

- I. रु.20,000
- II. रु.40,000
- III. रु.50,000
- IV. रु.100,000

**स्वयं-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर**

**उत्तर 2**

सही विकल्प IV है.

बीमा अधिनियम, 1938 में यह प्रावधान है कि रु.**100,000** से अधिक मूल्य के दावों का सर्वेक्षण की ओर से जारी किये गये वैध **आईआरडीएआई** सर्वेक्षक द्वारा किया जाना चाहिए